

APPLICATION FOR SUPPLYING INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT,2005.

Application Number: 4517/RTI/25-26/SCI

From : YOGI M P SINGH
SUREKAPURAM COLONY, SHRI LAXMI NARAYAN BAIKUNTH MA Uttar Pradesh -
231001
7379105911
yogimpsingh@gmail.com

To : CPIO
Supreme Court of India
New Delhi

Date : 07-02-2026

Subject : RTI Application U/s 6(1) of the RTI Act,05.

Sir/Madam/Authority,

To, The Central Public Information Officer (CPIO), Supreme Court of India, Tilak Marg, New Delhi-110001.

Subject: Request for Information under Section 6(1) of the RTI Act, 2005.

1. Details of Applicant: Name: Yogi M.P. Singh more details available to public authority
2. Particulars of Information Sought: In reference to the landmark judgment Lalita Kumari v. Govt. of U.P. (2014) 2 SCC 1, and the subsequent MHA Advisory dated 12th October 2015 regarding mandatory FIR registration, please provide the following:
 - 1- Whether the Supreme Court has issued any subsequent directions or circulars to the High Courts or State Governments to ensure the strict implementation of the Lalita Kumari mandate in light of the transition to the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023.
 - 2- Information regarding any "Compliance Reports" submitted by the State of Uttar Pradesh to the Supreme Court registry concerning the mandatory registration of FIRs for cognizable offenses as directed in the aforementioned judgment.
 - 3- Whether the Supreme Court has a designated mechanism or committee to monitor the non-compliance of FIR registration mandates by district police authorities (such as the reported non-receipt of MHA advisories in District Mirzapur).
 - 4- Clarification on whether the protection of "Zero FIR" registration, previously an administrative advisory, is now recognized as a mandatory judicial requirement under the current legal framework.

Declaration: I am a citizen of India. I request the information be provided in Hindi/English within the statutory period of 30 days. Date: February 07, 2026 Place: Mirzapur

Yogi M P Singh (Mahesh Pratap Singh)

Your's faithfully,
YOGI M P SINGH

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर।
पत्रसंख्या: ज0सू0ऑन0अपील-26/2025 दिनांक: नवम्बर 18, 2025

सेवा में,

श्री योगी एम0पी0 सिंह
निवासी-मुहल्ला सुरेखापुरम, जबलपुर रोड संगमोहाल
जनपद- मीरजापुर पिनकोड-231001

कृपया पत्रसंख्या: ज0सू0ऑन0अपील-26/2024 दिनांक: 03/06/2025 के माध्यम से आपको अवगत कराना है, माननीय आयोग के अपील संख्या: S09/A/1630/2025 (पंजीकरण संख्या: A-20250700617) में आपके द्वारा मांगी गयी सूचना का विवरण निम्न है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित आपके द्वारा माननीय आयोग में अपील संख्या: S09/A/1015/2025 (पंजीकरण संख्या: A-20250400289) की सुनवाई दिनांक 13.08.2025 को नियत थी, जिसको माननीय आयोग द्वारा दिनांक 13.08.2025 को निस्तारित कर दी गयी है, जिसका आदेश संलग्न है और आपके द्वारा उसी प्रश्न पर माननीय राज्य सूचना आयोग में पुनः अपील संख्या: S09/A/1630/2025 (पंजीकरण संख्या: A-20250700617) की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आपको दिनांक 12/08/2025 को सूचना आपके ई-मेल yogimpsingh@gmail.com पर प्रेषित की गयी है तथा पुनः दिनांक 10.11.2025 को सूचना आपके ई-मेल yogimpsingh@gmail.com पर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: 64 वर्क

- *White Lam*
जनसूचना अधिकारी/
अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन
जनपद मीरजापुर।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर।
दिनांक: सितम्बर / 0, 2025


पत्र संख्या: ज0सू0ऑन0अपील-26/2024
सेवा में,

श्री योगी एमपी सिंह
निवासी-मुहल्ला सुरेखापुरम, जबलपुर रोड संगमोहाल
जनपद- मीरजापुर पिनकोड-231001

कृपया पत्रसंख्या: ज0सू0ऑन0अपील-26/2024 दिनांक: 03/06/2025 के माध्यम से आपको अवगत कराना है, माननीय आयोग के अपील संख्या: S09/A/1630/2025 (पंजीकरण संख्या: A-20250700617) में आपके द्वारा मांगी गयी सूचनाए निम्न है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्र संख्या: ज0सू0ऑन0अपील-26/2024 दिनांक: 10/06/2025 के माध्यम से उक्त समस्त सूचनाओ की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर आपको प्रेषित की गयी है एवं संशोधित सूचना दिनांक 12/08/2025 को आपके ई-मेल yogimpsingh@gmail.com पर प्रेषित की गयी है।

संलग्नक: 04-वर्क


(ओम प्रकाश सिंह)
जनसूचना अधिकारी/
पुलिस अधीक्षक आपरेशन
जनपद मीरजापुर।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मीरजापुर।

पत्रसंख्या: ज०सू०ऑन०अपील-26/2025

दिनांक- अगस्त 12, 2025

श्री योगी एम०पी०सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी-मु० सुरेखापुरम जबलपुर रोड
संगमोहाल जनपद मीरजापुर।


कृपया आप अपने जनसूचना ऑनलाईन अपील-SPMZR/A/2025/60020 दिनांक 12/04/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना ऑनलाईन अपील-26/2025 की सूचना प्रधान लिपिक कार्यालय से संकलित कर सूचना प्रेषित की जा रही है एवं बिन्दु संख्या 05 में अवगत कराना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-154(1) के अन्तर्गत पुलिस थानों पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायती प्रार्थना दिये जाते हैं तो उपरोक्त धारा के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने का प्रवधान है किन्तु दिनांक 01 जुलाई, 2024 के भारतीय न्याय संहिता का प्रवर्तन हो जाने से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की कोई धारा वर्तमान में लागू नहीं है।

तदानुसार अवगत हो।

संलग्नक-01 बर्क




जनसूचना संलग्नक
पुलिस कार्यालय
जनपद-मीरजापुर



(ओम प्रकाश सिंह)
जनसूचना अधिकारी/
अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन
जनपद मीरजापुर।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर।

पत्र संख्या: ज0सू0ऑन0अपील-26/2024


दिनांक: अगस्त 12, 2025

सेवा में,


अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन/जनसूचना अधिकारी
जनपद मीरजापुर

कृपया आवेदक श्री योगी एम0पी0सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी-मु0 सुरेखापुरम जबलपुर रोड संगमोहाल जनपद मीरजापुर के जनसूचना आवेदन ऑनलाईन अपील-SPMZR/A/2025/60020 दिनांक 12/04/2025 एवं आपके पत्र संख्या ज0सू0ऑनलाईन अपील-26/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें आवेदक द्वारा 05 बिन्दु की सूचना माँगी गयी थी जो निम्नवत है।

1. आवेदक द्वारा प्रेषित जनसूचना आवेदन के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से दिनांक 12 अक्टूबर 2021 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के अनिवार्यता के सम्बन्ध में सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को एक एडवाइजरी जारी किया गया था जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा उक्त एडवाइजरी जनपद मीरजापुर में क्लब प्राप्त हुआ था के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पुलिस कार्यालय के पत्र व्यवहार शाखा में वर्ष 2015 के सन्दर्भ रजिस्टर के अवलोकन से यह पाया गया कि उक्त एडवाइजरी इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है।
2. उल्लेखनीय है कि उक्त एडवाइजरी जब प्राप्त ही नहीं है तो प्राप्तकर्ता कर्मचारी का नाम पद से अवगत नहीं कराया जा सकता है।
3. उक्त एडवाइजरी पुलिस कार्यालय जनपद मीरजापुर के पत्र व्यवहार शाखा में प्राप्त न होने कारण जनपद के किसी भी थाने को प्रेषित नहीं किया गया है।
4. उक्त एडवाइजरी पुलिस कार्यालय जनपद मीरजापुर के पत्र व्यवहार शाखा में प्राप्त न होने कारण जनपद के किसी भी चौकी को प्रेषित नहीं किया गया है।
5. उपरोक्त बिन्दु पत्र व्यवहार शाखा से सम्बन्धित नहीं है।




जनसूचना सेल
पुलिस कार्यालय
जनपद-मीरजापुर


प्रधान-लिपिक
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय
जनपद मीरजापुर।

शकुन्तला गौतम, राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0, सुनवाई कक्ष एस-9

अपील संख्या एस 09/ए/1015/2025

श्री योगी एमपी सिंह

बनाम

ज0सू0अ0 कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-मीरजापुर

आदेश

कम्प्लेन्ट व अपील ट्रैकिंग सिस्टम (CATS) के माध्यम से पंजीकृत द्वितीय अपील आज सुनवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत हुयी। दिनांक-13.08.2025 की सुनवाई हेतु अपीलार्थी को ई-मेल से दिनांक-11.08.2025 को नोटिस प्रेषित की गयी एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई किये जाने हेतु लिंक प्रेषित किया गया। पुकार करायी गयी। अपीलार्थी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री संजय कुमार, उपनिरीक्षक, पुलिस लाइन, मीरजापुर आयोग के समक्ष फिजीकली उपस्थित हुए।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन कर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद-मीरजापुर से 05 बिन्दु पर सूचना मांगी गयी तथा धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील की गयी एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005	वांछित सूचना
आवेदन धारा 6(1) दिनांक 23.12.2024	अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद-मीरजापुर से 05 बिन्दु पर सूचना मांगी गयी।
प्रथम अपील 19(1) दिनांक 04.02.2025	अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील योजित की गयी।
द्वितीय अपील 19(3) दिनांक 06.04.2025	अपीलार्थी की आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 06.04.2025 को ऑनलाइन की गयी।

उक्त द्वितीय अपील पर सुनवाई दिनांक-25.07.2025 व 13.08.2025 नियत करते हुए सुनवाई की गयी तथा आयोग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक-14.07.2025, 06.08.2025 को ई-मेल के माध्यम से नोटिस व लिंक प्रेषित किया गया, परन्तु किसी सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी न तो स्वयं उपस्थित हुए और किसी प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त के क्रम में नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित विपक्षी के प्रतिनिधि द्वारा जनसूचना अधिकारी का आयोग को सम्बोधित लिखित अभिकथन दिनांक-12.08.2025 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र के क्रम में वांछित सूचना पत्र दिनांक-03.06.2025 के माध्यम से दिनांक-10.06.2025 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की गयी तथा पुनः संशोधित सूचना अपीलार्थी के ई-मेल पर दिनांक-12.08.2025 को प्रेषित कर दी गयी है। अपीलार्थी द्वारा सूचना पर कोई आपत्ति प्रेषित नहीं की गयी है। विपक्षी जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त करायी गयी सूचना का विवरण निम्नवत है-

1-आवेदक द्वारा प्रेषित जनसूचना आवेदन के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से दिनांक 12 अक्टूबर 2015 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के अनिवार्यता के सम्बन्ध में सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को एक एडवाइजरी जारी किया गया था, जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा उक्त एडवाइजरी जनपद मीरजापुर में कब प्राप्त हुआ था के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पुलिस कार्यालय के पत्र व्यवहार शाखा में वर्ष 2015 के सन्दर्भ रजिस्टर के अवलोकन में यह पाया गया कि उक्त एडवाइजरी इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है।




2-उल्लेखनीय है कि उक्त एडवाइजरी जब प्राप्त ही नहीं है तो प्राप्तकर्ता कर्मचारी का नाम पद से अवगत नहीं कराया जा सकता।

3-उक्त एडवाइजरी पुलिस कार्यालय जनपद मीरजापुर के पत्र व्यवहार शाखा में प्राप्त न होने के कारण जनपद के किसी भी थाने को प्रेषित नहीं किया गया है।

4-उक्त एडवाइजरी पुलिस कार्यालय जनपद मीरजापुर के पत्र व्यवहार शाखा में प्राप्त न होने के कारण जनपद के किसी भी चौकी को प्रेषित नहीं किया गया है।

5-उपरोक्त बिन्दु पर व्यवहार शाखा से सम्बन्धित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी किसी सुनवाई तिथि पर न तो स्वयं उपस्थित हुए और किसी प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तथा विपक्षी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदत्त करायी जा चुकी है, जो सुस्पष्ट एवं सारवान है। अतः इस अपील को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


13.08.2025